राजस्थान सरकार

# सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक–प. 5(31) साप्र/3/82 जयपुर, दिनांकः–02/06/2020

## –: आज्ञा :–

**विषय :– राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलींफोन (बेसिक + मोबाईल + इन्टरनेट + ब्रॉडबैण्ड) पर एकमुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के निर्धारण बाबत।**

**संदर्भः– इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.08.2013**

राजकीय अधिकारीगण को निवासीय टेलीफोन बेसिक/मोबाईल/इन्टरनेट/ ब्रॉडबैण्ड उपलब्ध कराने बाबत, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.08.2013 के बिंदु संख्या 1 एवं 5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

(1) बिंदु संख्या 1 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन सम्मिलित किया जाता हैः–

"पूर्व से निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा में स्थानीय कॉल्स/एस.टी.डी./मोबाईल फोन कॉल्स/ इंटरनेट/ब्रॉडबैण्ड सुविधाये सम्मिलित होगी। संबंधित अधिकारी को स्वयं के नाम से मोबाईल को पोस्टपेड कनेक्शन ही लेना होगा। ब्राडबैण्ड कनेक्शन के लिए स्पष्ट किया जााता है कि संबंधित अधिकारी को स्वयं के नाम से पोस्टपेड कनेक्शन लेने की प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ब्राडबैण्ड हेतु पोस्टपेड कनेक्शन उपलब्ध नही कराया जाता है तथा संबंधित अधिकारी पोस्टपेड के स्थान पर प्रीपेड कनेक्शन को अधिक उपयोगी मानता है तो ब्रॉडबैण्ड का प्रीपेड कनेक्शन निम्न शर्तो के अध्यधीन लेने की अनुमति होगी :–

I. प्रीपैड कनेक्शन देने पर सर्विस प्रोवांईडर द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों की एक प्रति प्रथम बिल के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
II. प्रीपैड का बिल नियमित रूप से प्रति माह पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। (त्रैमासिक/छःमाही आधार पर नहीं)
III. प्रीपैड कनेक्शन का उपयोग DTH के लिये नहीं किया जायेगा।
IV. पूर्ववत् राज्य सरकार के द्वारा टेलीफोन यंत्र/मॉडम/डोंगल उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा तथा ना ही इनके क्रय के व्यय का पुनर्भरण देय होगा।

(2) बिंदु संख्या 5 में भी निम्नानुसार आंशिक संशोधन सम्मिलित किया जाता हैः–

"ब्रॉडबैण्ड हेतु प्रीपैड कनेक्शन लेने की स्थिति में यदि भुगतान ऑनलाईन भी किया जाता है तो भुगतान की पुष्टि भी ऑनलाईन प्राप्त होती है। उक्त पुष्टि संबंधित ऑनलाईन–ऐप, ई–मेल अथवा एस. एम.एस के माध्यम से भी प्राप्त होती है। उक्त ऑनलाईन पुष्टि के स्क्रीन शॉट का प्रिंट आउट लिया जा सकता है जिसके वेरिफिकेशन पर भुगतान किया जा सकता है। ऐसे में भुगतान रसीद के बिना सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी।"

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पूर्व में जारी आज्ञा दिनांक 14.08.2013 में अंकित अन्य शर्ते तथा पूर्व निर्धारित वित्तीय सीमा यथावत ही रहेंगी।

उक्त आज्ञा वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 132000089 दिनांक 27.05.2020 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव
2/6

**Room No. 1133, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005,**
**Tel. No. (SO)-2227776 (Fax)-5116626, 2227928**
**Website: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-gadsec111@rediffmail.com**

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज़स्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संभागीय आयुक्त/ विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)।
9. अध्यक्ष, राज. राज्य पिछडा वर्ग आयोग, जयपुर।
10. समस्त संयुक्त शासन सचिव, वरिष्ठ शासन उप सचिव, शासन उप सचिवगण/समकक्ष अधिकारीगण।
11. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक+मोबाईल+इंटरनेट ब्रॉडबैण्ड /आईपैड /डाटा कार्ड) के बिल भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये की बिल की राशि संबंधित अधिकारी को देय मासिक/वार्षिक अनुज्ञेय सीमा में ही है। बिंदु संख्या 1 एवं 5 के अनुक्रम में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त टेलीफोन/मोबाईल बिलों का भुगतान/पुनर्भरण बिल प्रस्तुत करने पर सीधे ही लेखा शाखा द्वारा किया जायेगा।
12. समस्त कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि बिल पारित करने से पूर्व शर्त नं. 1 एवं 5 की पालना सुनिश्चित कर ली जाये।
13. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

(महेश चन्द्र शर्मा) 21/6/20
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्न को भी प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
7. निजी सचिव, सचिव, कर बोर्ड, अजमेर।

विशिष्ट शासन सचिव